International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

वस्तु और सेवा कर(GST)- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.महेंद्र कुमार खारड़िया

सह आचार्य, लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरु(राजस्थान)

सारांश (Abstract)

वस्तु एवं सेवा कर एक नई कर प्रणाली भारत में लागू की गई है जिसके अंतर्गत एक देश, एक टैक्स की अवधारणा को लागू करने का प्रयास किए गए हैं इस कर प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण देश में एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है जिसके अंतर्गत अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार टैक्स चुकाना होता है ताकि विभिन्न प्रकार के करो से आम जनता को निजात दिलाई जा सके। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कि हमारा देश विश्व में अग्रणी देश की पंक्ति में खड़ा हो सके । इस शोध कार्य के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा करके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया गया है तथा इसके साथ-साथ भविष्य में किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह कर प्रणाली उपयोगी है इसका भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का एक सफल प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदु (Key Points) - वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी), कर, भारत, विकास, अर्थव्यवस्था

साहित्य समीक्षा:(Review of literature)

पिछले अध्ययनों और शोधों से पता चलता है कि वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है अर्थव्यवस्था ने भारतीय आर्थिक विकास , रोजगार ,मुद्रास्फीति और,व्यापार पर प्रभाव शामिल हैं।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था। इसके संबंध में 30 जून की मध्य रात्रि को लोकसभा के केंद्रीय कक्ष में एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें देश के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे इसकी एक देश, एक कर, एक बाजार की दृष्टि की सराहना की गई। तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस राष्ट्र की परिपक्वता की बुद्धिमत्ता का परिचायक व इसके प्रति भेट स्वरूप माना था । यह सहकारी संघवाद का एक उत्तम नमूना माना गया है क्योंकि केंद्र व राज्यों ने मिलकर इसकी प्रस्थापना की है। यह देश के आर्थिक एकीकरण का एक उदाहरण है प्रधानमंत्री ने इसे एक अच्छा वह सरल कर कहा ऐसा कहते समय उन्होंने G एवं S अक्षरों का अपने सहज ढंग से प्रयोग किया इसमें प्रारंभ में कुछ बधाएं आवश्यक आएंगे लेकिन आगे चलकर जीएसटी भारत में कर क्रांति का एक अगदूत बनकर उबरेगा इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए । भारतीय अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रंग रूप ही बदल जाएगा तथा वह काफी निखर उठेगी। जीएसटी की सर्वप्रथम चर्चा तत्कालीन वित्त सचिव विजय केलकर ने 2003 में एफआरबीएम में अपनी रिपोर्ट में की थी उसे समय देश में बीजेपी सरकार थी ने की कांग्रेस

लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी 2006 में जीएसटी का उल्लेख किया था और 2010 तक इसे लागू करने का संकेत भी दिया था लेकिन इसका क्रियान्वन निरंतर टलता गया बीच में राजनीतिक कर्म से जीएसटी का विरोध भी होता रहा लेकिन अंतोगत्वा 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया और आगे समझदारी इसी में है कि इस कामयाब बनाया जाए इसकी कमियों को दूर किया जाए और संबद्ध पक्षों द्वारा इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने का सतत प्रयास जारी रखा जाए ताकि देश के विकास के पद पर तेजी से अग्रसर हो सके सिमरन रहे कि यह किसी एक राजनीतिक दल के प्रयास का प्रतिफल नहीं है बल्कि समस्त देश समस्त राज्यों व समस्त कर विशेषज्ञों की सूझबूझ का एक परिणाम है

उद्देश्य(OBJECTIVES)

भारत में वस्तु एवं सेवा कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर परिवर्तन है और आने वाले समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी किसी को ध्यान में रखते हुए इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

1. वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ और इसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
2. वस्तु एवं सेवा कर की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करना ।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना उपयोगी है वस्तु और सेवा कर इसकी जानकारी प्राप्त करना।
4. भविष्य में वस्तु और सेवा कर का क्या है भारत में भविष्य इसकी जानकारी प्राप्त करना।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर की वर्तमान स्थिति

भारत में वस्तु एवं सेवा कर की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इस कर को अभी और बेहतर तरीके से लागू करने के प्रयास जीएसटी काउंसिल के माध्यम से किया जा रहे हैं सुधार और संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी है वर्तमान में जीएसटी का भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है ।इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करें तो जीएसटी लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है और कर संग्रहण की मात्रा लगातार बढ़ रही है जिस देश के विकास की गति तीव्र हो रही है भारत के लिए जीएसटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिसके परिणाम अभी दिखाई दे रहे हैं यह देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की दिशा में एक महत्व प्रयास माना गया है ।केंद्र के लिए राज्यों के कई करो व उप करो को समाप्त करके उनको एक ही कर में समाहित करना कोई सरल कार्य नहीं था लेकिन यह जीएसटी के मार्फत किया गया इसके आलोचक भी दबी जुबान में जीएसटी के इस गुण को तो स्वीकार करते ही है लेकिन जीएसटी ने उसे करके दिखाया इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यधिक सरल बन गई जिसका अनुभव समय के साथ सबको होने लगेगा तभी इसका प्रभाव सामने आ पाएगा चुंगी नाके जब गायब होंगे तब लोगों को सुखद अनुभव होगा ट्रैकों की चेक पोस्ट पर लंबी कतारे कम हो जाएगी। शराब वाले ट्रैकों के अलावा जीएसटी के लगने के बाद प्रशासन पर निर्भर करेगा कि चेक पोस्टों पर लंबी कतारे कितनी कम हो पाती हैं इससे कर पर कर से उत्पन्न होने वाली उत्तरोत्तर कर बाहर समाप्त हो जाएगा जिससे आशा की जाती है कि आगे चलकर उपभोक्ताओं के लिए भी कीमत कम हो सकेंगे।

विश्लेषण (Analysis)

वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जब से लागू किया गया है तब से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है और लगातार जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है इसको समझने के लिए एक तालिका के माध्यम से उसको बताया गया है कि अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 की तुलना करें तो इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिसके कारण विकास कार्यों के लिए और अधिक मात्रा में बजट राष्ट्रीय को उपलब्ध हो रही है और करने में सफल हो रहे हैं आगे भी विकास की गति तेज होगी। इसको और अधिक समझने के लिए राज्यों के अनुसार जीएसटी कलेक्शन को एक तालिका के माध्यम से दिखाया गया है तालिका संख्या एक में में प्रदर्शित हो रहा है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2023 के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण राष्ट्र को विकास कार्यों के लिए और अधिक राशि मिल रही है जो अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।

इसको और अधिक समझने के लिए राज्यों के अनुसार जीएसटी कलेक्शन को एक तालिका के माध्यम से दिखाया गया है तालिका संख्या एक में में प्रदर्शित हो रहा है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2023 के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण राष्ट्र को विकास कार्यों के लिए और अधिक राशि मिल रही है जो अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।

तालिका संख्या 1 राज्यों के अनुसार जीएसटी कलेक्शन

(राशि करोड़ों में)

राज्य	अप्रैल 23	अप्रैल 24	ग्रोथ प्रतिशत	
जम्मू कश्मीर	803	789	- 2%	
हिमाचल प्रदेश	957	1015	6%	
पंजाब	23 16	2796	21%	
चंडीगढ़	255	313	23%	
उत्तराखंड	2148	2239	4%	
हरियाणा	10035	12168	21%	
दिल्ली	6320	7772	23%	
राजस्थान	4785	5 558	16%	
उत्तर प्रदेश	10320	12290	19%	
बिहार	1625	1992	23%	
सिक्किम	426	403	-5%	
अरुणाचल प्रदेश	238	200	- 16%	
नागालैंड	88	86	-3%	
मणिपुर	91	104	15%	

मिजोरम	71	108	52%	
त्रिपुरा	133	161	20%	
मेघालय	239	234	- 2%	
असम	1513	1895	25%	
पश्चिम बंगाल	6447	7293	13%	
झारखंड	3701	3829	3%	
उड़ीसा	5036	5902	17%	
छत्तीसगढ़	3508	4001	14%	
मध्य प्रदेश	4267	4728	11%	
गुजरात	11721	13301	13%	
महाराष्ट्र	33196	37 671	13%	
कर्नाटक	14593	15978	9%	
गोवा	620	767	23%	
तमिलनाडु	11559	12210	6%	
तेलगाना	5622	6236	11%	
आंध्र प्रदेश	4329	4850	12 %	

नोट - आंकड़े करोड रुपए में है इसमें सामान के इंपोर्ट पर लगने वाला जीएसटी शामिल नहीं है

तालिका संख्या 2 भारत में वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन

(राशि करोड़ों में)

अप्रैल 2023	1.87 लाख करोड़			
मई 2023	157 लाख करोड़			
जून 2023	1.61 लाख करोड़			
जुलाई 2023	1.65 लाख करोड़			
अगस्त 2023	1 60 लाख करोड़			
सितंबर 2023	1.63 लाख करोड़			
अक्टूबर 2023	1.72 लाख करोड़			

नवंबर 2023	1 67 लाख करोड़			
दिसंबर 2023	1.68 लाख करोड़			
जनवरी 2024	1.72 लाख करोड़			
फरवरी 2024	1.68 लाख करोड़			
मार्च 2024	1 78 लाख करोड़			

तालिका संख्या **2** सरकार ने अप्रैल 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड रुपए संग्रहित किया यह अब तक का किसी भी महीने संग्रहित किया गया सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रहण है इससे पहले का सबसे ज्यादा कलेक्शन 1.87 लाख करोड रुपए था जो अप्रैल 2023 में हुआ था सालाना आधार पर जीएसटी महीने दर महीने आधार पर कलेक्शन में 18% का इजाफा हुआ है। वहीं सरकार ने 18000 करोड़ के रिफंड भी जारी किए हैं रिफंड के बाद अप्रैल 2023 के लिए नेट जीएसटी रिवेन्यू 1.92 लाख करोड़ रहा पिछले वर्ष की समान अवधि यानी अप्रैल 2024 की तुलना में यह 17.1 प्रतिशत ज्यादा है। इसी के साथ सी जीएसटी 43846 करोड़ रुपए तथा सीजीएसटी 53538 करोड रुपए रहा वित्त मंत्रालय के अनुसार अप्रैल के 21267 करोड़ के जीएसटी कलेक्शन में सीएसटी 46846 करोड रुपए और सीएसटी 53538 करोड रुपए रहा आईजीएसटी 99623 करोड रुपए माल के आयात पर कलेक्ट किए गए 37826 करोड़ों रुपए सहित और शेष 13226 करोड रुपए रहे शेष में माल के आयात से मिले 1008 करोड रुपए शामिल है।

निष्कर्ष (Conclusion)-

भारत में कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है इसे वैरायटी का प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स ,सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई अप्रत्यक्ष टैक्स बदला है प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष करो को बदलने के लिए 2017 में जीएसटी लागू किया गया था जीएसटी में 5 ,12 ,18 और 28% के चार टैक्स स्लैब हैं। एक देश एक कर की अवधारणा की पूर्ति करते हुए एक नया कर जीएसटी की यात्रा प्रारंभ हुई है रास्ते में भी कई नए अनुभव होंगे नए निर्णय लेने होंगे और नए प्रयोग करने होंगे लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होने में भी जीएसटी का योगदान अहम होगा यह काम आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है सब सभी पक्षो के पूर्ण सहयोग से इसे कामयाब बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए स्मरण रहे कि जीएसटी की सफलता में ने केवल कर प्रणाली की कामयाबी का राज छिपा है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास का राज भी छिपा हुआ है इससे मुद्रास्फीति के काम होने व्यापार आंतरिक व विदेशी व रोजगार के बढ़ाने की संभावना व्यक्त की गई है बेहतर यह होगा कि निकट भविष्य में अप्रत्यक्ष करों के विशेषज्ञों जैसे एम. गोविंदा राव ,पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यमपूर्व, वित्त मंत्री पी.चिदंबरम व वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे विशेषज्ञों व अन्य गण मान्य विशेषज्ञों के साथ मिल बैठकर जटिल मुद्दों को हल करने का औपचारिक प्रयास करें तो संभावित परिणाम देशहित में विशेष

लाभकारी माना जाएगा इसमें व्यापार तथा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए और इसमें निरंतर सुधार और संशोधन की प्रक्रिया जारी रखनी होगी जीएसटी परिषद में कर विशेषज्ञों की सेवा भी ली जा सकती है

संदर्भ(References)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह माइग्रिल प्रकाशन दिल्ली 2022-23
2. भारतीय अर्थव्यवस्था- लक्ष्मी नारायण नाथूराम का, आरबीडी पब्लिकेशन (यूनिट ऑफ़ रमेश बुक डिपो) जयपुर ,नई दिल्ली 2023- 24
3. इंडियन इकोनॉमिक्स, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स
4. The Hindu, Business standard
5. गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल http://gstcouncil.gov.in